अनुदान संख्या 27 – पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
GRANT No. 27 - MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	3014,10,00				
				3014,14,00	2588,09,80	-426,04,20
पूरक	Supplementary	4,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					363,92,87
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-			122,48,00	30,43,21	-92,04,79
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					91,30,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat-Economic Services				
मू.	O.	14782.00			
			14394.34	-14079.87	-314.47
पु.	R.	-387.66			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2406" वन और वन्य जीव	Major Head "2406" Forestry and Wild Life				
मू.	O.	85315.00			
पू.	S.	1.00	85111.68	81018.26	-4093.42
पु.	R.	-204.32			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	17900.00			
			..	..	..
पु.	R.	-17900.00			
मुख्य शीर्ष "3435" पारिस्थितिकी और पर्यावरण	Major Head "3435" Ecology and Environment				
मू.	O.	123558.00			
पू.	S.	3.00	104940.70	103363.32	-1577.38
पु.	R.	-18620.30			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	59490.00			
			60574.41	60348.35	-226.06
पु.	R.	1084.41			

(I) ₹20365.00 लाख का प्रावधान तेरह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹19800.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गए:—

(I) Provision of ₹20365.00 lakhs remained wholly unutilized under thirteen heads; of these ₹19800.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552"—

(A) Major Head "2552" -

(क) "वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास –राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम – राष्ट्रीय हरित भारत मिशन''– ₹3500.00 लाख;

(ख) "पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीव – वन्य जीव परिरक्षण – वन्य जीवों के आवासों का एकीकृत विकास'' – ₹5300.00 लाख;

(ग) "पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनःद्धार – संरक्षण कार्यक्रम – प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण'' – ₹800.00 लाख;

(घ) "वानिकी – शिक्षा और प्रशिक्षण– पर्यावरणीय ज्ञान तथा क्षमता निर्माण'' – ₹1500.00 लाख;

(ङ) "पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनःद्धार – जलवायु परिवर्तन कार्य योजना– पर्यावरण संरक्षण, प्रबंधन तथा सतत विकास'' – ₹1500.00 लाख; और

(च) "प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण – वायु तथा जल प्रदूषण रोकथाम – प्रदूषण नियंत्रण" – ₹5200.00 लाख।

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "3435" –"प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण" –

(a) "Afforestation and Ecology Development – National Afforestation and Ecology Development Programme– National Mission for a Green India" – ₹3500.00 lakhs;

(b) "Environmental Forestry and Wild Life – Wild Life Preservation – Integrated Development of Wild Life Habitats" – ₹5300.00 lakhs;

(c) "Environmental Research and Ecological Regeneration – Conservation Programmes - Conservation of Natural Resources and Ecosystems" – ₹800.00 lakhs;

(d) "Forestry – Education and Training-Environmental Knowledge and Capacity Building" – ₹1500.00 lakhs;

(e) "Environmental Research and Ecological Regeneration – Climate Change Action Programme – Environment Protection, Management and Sustainable Development" – ₹1500.00 lakhs; and

(f) "Prevention and Control of Pollution – Prevention of air and water Pollution – Control of Pollution" – ₹5200.00 lakhs.

Provisions under the above six heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head "3435" – "Prevention and Control of Pollution" –

(क) "अनूसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम" – ₹1000.00 लाख – वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने, कोविड–19 महामारी के कारण मैंग्रूव तथा कोरल रीफ्स संरक्षण हेतु राज्यों से व्यवहार्य प्रस्ताव/उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण।

(a) "Special Component Plan for Scheduled Castes – National Coastal Management Programme" – ₹1000.00 lakhs – due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance, non-receipt of viable proposals/utilization certificates from States for Mangrove and coral reefs protection owing to COVID-19 pandemic.

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम" – ₹1000.00 लाख – कोविड–19 महामारी के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण।

(b) "Tribal Area Sub-Plan – National Coastal Management Programme" – ₹1000.00 lakhs - due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to COVID-19 pandemic.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय" – ₹702.13 लाख की बचत (₹14782.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी की वजह से चिकित्सा, छुट्टी यात्रा रियायत, कम दौरे किए जाने, कम प्रत्यक्ष बैठकें किए जाने, कम प्रकाशन किए जाने के संबंध में कम दावे प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451"-"Secretariat-Ministry of Environment, Forests and Climate Change" - saving of ₹702.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14782.00 lakhs) was due to receipt of less claims towards medical, leave travel concession, less foreign tours undertaken, less physical meetings, less publication work undertaken owing to COVID-19 pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) मुख्य शीर्ष "2406" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(III) Under Major Head "2406" – savings occurred under the following heads: -

(का) "वानिकी" – निदेशन और प्रशासन – संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय" – ₹1321.43 लाख की बचत (₹17500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कम दौरे किए जाने, कोविड–19 महामारी के कारण प्रत्यक्ष रीति से बैठकें आयोजित न किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(A) "Forestry – Direction and Administration – Attached/Subordinate Offices" – saving of ₹1321.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17500.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken, non-conduction of meetings in physical mode owing to COVID-19 pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) "वनरोपण तथा पारिस्थितिकी विकास" –

(B) "Afforestation and Ecology Development" –

(क) "राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण – राष्ट्रीय प्राधिकरण'' – ₹8775.57 लाख की बचत (₹26165.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय प्राधिकरण कार्यालय का संचालन सीमित संविदागत स्टाफ द्वारा ही किए जाने, व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने, रिक्त पदों को न भरे जाने तथा कोविड–19 महामारी के कारण संपूर्ण देश में स्कूल नर्सरी योजना सहित स्वीकृत परियोजनाओं/कार्यकलापों का कार्यान्वयन धीमी गति से होने के कारण हुई।

(ख) "राष्ट्रीय वनरोपण तथा पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम – राष्ट्रीय हरित भारत मिशन'' – ₹964.00 लाख की बचत ₹2707.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(IV) मुख्य शीर्ष "3435" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनःद्धार''–

(क) "संरक्षण कार्यक्रम – प्राकृतिक संसाधन और परिस्थितिकी का संरक्षण'' – ₹574.57 लाख की बचत (₹1245.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने, इको–क्लब में कमी होने तथा कोविड–19 महामारी के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(a) "National Compensatory Afforestation – National Authority" – saving of ₹8775.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹26165.00 lakhs) was due to operation of National Authority Office with a limited contractual staff , non-receipt of viable proposals, non-filling up of vacant posts and slow implementation of sanctioned projects/activities including School Nursery Yojana across the country owing to COVID-19 pandemic.

(b) "National Afforestation and Ecology Development Programme – National Mission for a Green India" – saving of ₹964.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2707.00 lakhs); and

(IV) Under Major Head "3435" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Environmental Research and Ecological Regeneration" –

(a) "Conservation Programmes – Conservation of Natural Resources and Ecosystems" – saving of ₹574.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1245.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of utilisation certificates, reduction of Eco-clubs and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to COVID-19 pandemic.

(ख) "पर्यावरणीय आयोजना तथा समन्वय – पर्यावरणीय जागरूकता नीति, आयोजना और परिणाम मूल्यांकन के लिए निर्णय सहायता प्रणाली'' – ₹2405.28 लाख की बचत (जुलाई, 2021 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹ 9414.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने, ई–गवर्नेंस पोर्टल को अनुमोदन न मिलने, विज्ञापन तथा प्रचार संबंधी कार्यकलाप कम होने और कोविड–19 महामारी के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(b) "Environmental Planning and Coordination – Decision support system for Environmental Awareness, Policy, Planning and Outcome Evaluation" – saving of ₹2405.28 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹9414.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in July, 2021) was due to receipt of less proposals, non-approval of e-governance portal, less activity on advertisement and publicity and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to COVID-19 pandemic.

(खा) "प्रदूषण रोकथाम तथा नियंत्रण"

(B) "Prevention and Control of Pollution"-

(क) "प्रभाव मूल्यांकन – राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम'' – ₹15220.66 लाख की बचत (₹18000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने और कोविड–19 महामारी के कारण राज्यों से व्यवहार्य प्रस्ताव/उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(a) "Impact Assessment - "National Coastal Management Programme" – saving of ₹15220.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and non-receipt of viable proposals/ utilization certificates from States owing to COVID-19 pandemic.

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – प्रदूषण नियंत्रण'' – ₹617.01 लाख की बचत (₹2400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes-Control of Pollution"-saving of ₹617.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2400.00 lakhs); and

(V) मुख्य शीर्ष "3601'' – "केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईः–

(V) Under Major Head "3601" – "Centrally Sponsored Schemes" – savings occurred under the following heads:-

(का) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" – "वन्य जीवों के आवासों का एकीकृत विकास'' – ₹700.00 लाख की बचत (₹5300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(A) "Tribal Area Sub-Plan- Integrated Development of Wildlife Habitats" - saving of ₹700.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5300.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोविड–19 महामारी के कारण तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – वन्य जीव आवासों का एकीकृत विकास'' – ₹555.53 लाख की बचत (₹4800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाणपत्र/प्रगति रिपोर्ट प्राप्त न होने तथा कोविड–19 महामारी के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(VI) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹817.36 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 20 प्रतिशत से 60 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹3363.03) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि दिसंबर, 2021 तथा मार्च, 2022 में निम्नलिखित शीर्षों के तहत ₹3.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) मुख्य शीर्ष ''2406'' – ''वानिकी – अनुसंधान – स्वायत्त निकायों को सहायत'' – ₹999.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹988.92 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3435'' –

(क) ''पर्यावरणीय अनुसंधान एवं पारिस्थितिकी पुनरुद्धार – जलवायु परिवर्तन कार्रवाई कार्यक्रम – पर्यावरण संरक्षण, प्रबंधन तथा सतत विकास'' – ₹792.03 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹658.60 लाख था।

(ख) ''प्रदूषण रोकथाम तथा नियंत्रण – वायु तथा जल प्रदूषण की रोकथाम – सांविधिक तथा नियामक निकाय'' – ₹1572.00 लाख)। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹1522.00 लाख था।

Savings under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to COVID-19 pandemic.

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes – Integrated Development of Wildlife Habitats” – saving of ₹555.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4800.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates/progress report and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to COVID-19 pandemic.

(VI) Under two heads savings of ₹817.36 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 20 percent and 60 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹3363.03 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grants of ₹3.00 lakhs in December, 2021 and March, 2022 under the following major heads:-

(A) Major Head “2406” – “Forestry – Research – Assistance to Autonomous Bodies” –₹999.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹988.92 lakhs.

(B) Major Head “3435”-

(a) “Environmental Research and Ecological Regeneration – Climate Change Action Programme – Environment Protection, Management and Sustainable Development” – ₹792.03 lakhs. Actual excess, however, was ₹658.60 lakhs.

(b) “Prevention and Control of Pollution-Prevention of air and water pollution-Statutory and Regulatory Bodies”-₹1572.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1522.00 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईंः–

(का) मुख्य शीर्ष "2406" – "वानिकी – शिक्षा तथा प्रशिक्षण – पर्यावरणीय ज्ञान तथा क्षमता निर्माण'' – ₹5996.39 लाख का अधिक व्यय (₹4500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और इको–टास्क फोर्स बटालियनों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा"–

(क) "राष्ट्रीय हरित भारत मिशन" – ₹1444.42 लाख का अधिक व्यय (₹16193.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) "वन्य जीव आवासों का एकीकृत विकास" – ₹1631.99 लाख का अधिक व्यय (₹22050.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹333.39 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईंः–

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads: -

(A) Major Head "2406"-"Forestry-Education and Training-Environmental knowledge and Capacity Building"- excess of ₹5996.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4500.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds towards clearance of Eco-Task Force Battalions.

(B) Major Head "3601"- "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share" -

(a) "National Mission for a Green India"- excess of ₹1444.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16193.00 lakhs); and

(b) "Integrated Development of Wildlife Habitats" - excess of ₹1631.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22050.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) Under one head excess of ₹333.39 lakhs occurred constituting 14 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads: -

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4406" वन तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4406" Capital Outlay on Forestry and Wild Life				
मू.	O.	3348.00	1932.00	1899.57	-32.43
पु.	R.	-1416.00			
मुख्य शीर्ष "5425" अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5425" Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research				
मू.	O.	8900.00	1186.00	1143.64	-42.36
पु.	R.	-7714.00			

(I) मुख्य शीर्ष "4406" – "वानिकी – संचार एवं भवन – संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय" – ₹1448.43 लाख की बचत (₹3348.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(II) मुख्य शीर्ष "5425" – "पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण – संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय" – ₹7756.36 लाख की बचत (₹8900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम प्रस्ताव प्राप्त होने और कोविड–19 महामारी के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

(I) Under Major Head "4406" – "Forestry – Communication and Buildings - Attached/Subordinate Offices" – saving of ₹1448.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3348.00 lakhs); and

(II) Under Major Head "5425"– "Ecology and Environment – Attached/Subordinate Offices"– saving of ₹7756.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8900.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals owing to COVID-19 pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.